भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. †560
दिनांक 23.07.2025 को उत्तर देने के लिए

केंद्रीकृत नीलामी नीति

†560. श्री राहुल कस्वां:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मार्च, 2025 में शुरू की गई केन्द्रीकृत नीलामी नीति के अंतर्गत वर्ष 2024 से लिथियम, दुर्लभ मृदा तत्वों (आरईई) आदि जैसे 70 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों सहित 335 से अधिक खनिज ब्लॉकों की नीलामी की गई थी;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वर्ष 2015 से नीलाम किए गए 440 ब्लॉकों में से केवल लगभग 56 ब्लॉक ही कार्य कर रहे हैं और राज्य स्तरीय अनुमोदनों के कारण विलंब होता है, सरकार का किस प्रकार तेजी से प्रचालन सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है;
(घ) क्या खान और खनिज विकास और विनियमन (एमएमडीआर) संशोधन नियम, 2025 के प्रारूप में अन्वेषण और पर्यावरणीय मंजूरी में देरी के लिए शास्ति शामिल है और यदि हां, तो रूपरेखा और समय-सीमा का ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या सरकार अधिसूचित निजी अन्वेषण एजेंसी (एनपीईए) के माध्यम से निजी अन्वेषण को प्रोत्साहित करने और तांबा तथा दुर्लभ मृदा जैसे महत्वपूर्ण खनिजों में निवेश आकर्षित करने के लिए सुधार करने की योजना बना रही है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकलने की संभावना है?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख): 1 जनवरी, 2024 से अब तक कुल 187 खनिज ब्लॉकों की नीलामी की जा चुकी है, जिनमें लिथियम, दुर्लभ मृदा तत्व (आरईई), निकल और कोबाल्ट आदि सहित केंद्र

सरकार द्वारा नीलाम किए गए 34 महत्वपूर्ण और सामरिक खनिज ब्लॉक शामिल हैं। महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों (खान और खनिज (विकास और विनियमन) (एमएमडीआर) अधिनियम की अनुसूची-I के भाग घ में यथापरिभाषित) की नीलामी केंद्र सरकार द्वारा एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2023 के अनुसार की जा रही है।

(ग): वर्ष 2015 से अब तक, विभिन्न राज्य सरकारों और केंद्र सरकार द्वारा 526 प्रमुख खनिज ब्लॉकों की नीलामी की जा चुकी है, जिनमें से वर्तमान में 66 ब्लॉकों में उत्पादन हो रहा है। अन्य परियोजनाओं के विपरीत, खनन परियोजनाओं की निर्माण अवधि लंबी होती है, और खनन योजना की स्वीकृति, पर्यावरण मंजूरी, वन मंजूरी, भूमि अधिग्रहण आदि केवल आवश्यक अनुमोदन/मंजूरी प्राप्त करने के बाद ही नीलाम की गई खानों से उत्पादन शुरू हो सकता है।

नीलाम किए गए खनिज ब्लॉकों के प्रचालन में तेजी लाने के लिए, केंद्र सरकार ने कई प्रमुख उपायों को लागू किया है, जिनमें जमीनी मुद्दों को हल करने के लिए राज्य सरकारों के साथ लगातार समीक्षा बैठकें आयोजित करना, प्रगति की निगरानी और अवरोधों को दूर करने के लिए एक समर्पित परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) की स्थापना, नीलाम किए गए ब्लॉकों की स्थिति पर नज़र रखने के लिए एक खनन डैशबोर्ड का विकास, अनुमोदन/मंजूरी को सुव्यवस्थित और तेज करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) और अन्य मंत्रालयों के साथ निकट समन्वय शामिल है।

(घ): खनिज नीलामी नियम, 2025 के संशोधन के मसौदे में विलंबित गवेषण और पर्यावरण मंजूरी सहित दंड शामिल हैं। यह मसौदा खान मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे https://mines.gov.in/admin/download/681301956a2f61746076053.pdf पर देखा जा सकता है।

(ङ) और (च): सरकार ने वर्ष 2022-23 से अधिसूचित निजी गवेषण एजेंसियों (एनपीईए) के माध्यम से निजी गवेषण को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाए हैं। दिनांक 17.07.2025 तक राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास (एनएमईटी) द्वारा एनपीईए को कुल 79 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इसके अतिरिक्त एनएमईटी द्वारा दुर्लभ मृदा और तांबे सहित महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों की कुल 196 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

*****